

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- ०९/०८/१९

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹401.61619 लाख (चार करोड़ एक लाख एकसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹401.61619 लाख (चार करोड़ एक लाख एकसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	स्वीकृत की जाने वाली राशि
1	2	3	4
1	पटना	नगर पंचायत, खुशरूपुर	7,26,160.00
2	भोजपुर	नगर पंचायत, पीरो	15,59,552.00
3		नगर पंचायत, बिहियाँ	12,32,824.00
4		नगर पंचायत, कोईलवर	8,18,205.00
5		नगर पंचायत, शाहपुर	8,20,144.00
6	रोहतास	नगर पंचायत, नासरीगंज	10,99,511.00
7	नालंदा	नगर पंचायत, ईसलामपुर	16,45,227.00
8		नगर पंचायत, राजगीर	19,19,700.00
9	गया	नगर पंचायत, शेरघाटी	18,77,186.00
10	नवादा	नगर पंचायत, बारसलीगंज	15,72,061.00
11	सीतामढ़ी	नगर पंचायत, सुरसंड	13,70,430.00
12	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, मोतीपुर	13,18,914.00
13		नगर पंचायत, कांटी	11,56,381.00
14	वैशाली	नगर पंचायत, लालगंज	17,12,483.00
15		नगर पंचायत, महुआ	4,98,309.00
16	पू० चम्पारण	नगर पंचायत, चकिया	9,54,888.00
17		नगर पंचायत, सुगौली	17,91,742.00
18		नगर पंचायत, केसरिया	8,76,322.00
19	पं० चम्पारण	नगर पंचायत, रामनगर	22,34,703.00
20	मधुबनी	नगर पंचायत, घोघरडीहा	8,42,763.00
21	जमुई	नगर पंचायत, झाझा	18,76,263.00
22	बेगूसराय	नगर पंचायत, बखरी	18,48,428.00
23	सारण	नगर पंचायत, परसा बाजार	16,85,802.00

24	सिवान	नगर पंचायत, महाराजगंज	11,20,883.00
25		नगर पंचायत, मैरवा	10,87,786.00
26	गोपालगंज	नगर पंचायत, कटैया	9,32,131.00
27	पूर्णिया	नगर पंचायत, बनमंखी	14,00,342.00
28	किशनगंज	नगर पंचायत, बहादुरगंज	17,07,637.00
29	कटिहार	नगर पंचायत, मनिहारी	12,29,223.00
30		नगर पंचायत, बारसोई	12,45,619.00
कुल योग			4,01,61,619.00

कुल स्वीकृत राशि ₹401.61619 लाख (चार करोड़ एक लाख एकसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹401.61619 लाख (चार करोड़ एक लाख एकसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर पंचायतों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी।

3. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹401.61619 लाख (चार करोड़ एक लाख एकसठ हजार छः सौ उन्नीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद, मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0008-पेशाकर के आलोक में अनुदान, विषय शीर्ष- 0008.31.06-सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड- 48-2217801930008 से की जायेगी। इस राशि का व्यय राज्य के सभी नगर पंचायतों में वेतनादि से भिन्न अन्य मदों पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए किया जायेगा।

6. बिहार पेशाकर व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 16 के अनुसार अधिनियम/के प्रारंभ होने की तिथि से स्थानीय प्राधिकार द्वारा पेशाकर

का उदग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 निरस्त हो गई है तथा पेशाकर नगर निकाय का आंतरिक संसाधन नहीं रह गया है।

7. पेशाकर मद में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि का व्यय राज्य के सभी नगर पंचायतों द्वारा वेतन मद से भिन्न अन्य मदों पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए नियमानुसार किया जा सकता है। पेशाकर की राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि०(2), दिनांक- 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. सहायक अनुदान की उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 02.07.2019 के मद संख्या- 10 के रूप में प्राप्त है।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/विविध (पेशाकर)-21-07/2014 के पृष्ठ सं०-175/टि० पर दिनांक-02-08-19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-176/टि० पर दिनांक-05-08-19 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

07-08-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/विविध (पेशाकर)-21-07/2014 51 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-07-08-19

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश, विभागीय आई०टी० प्रबंधक, को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने संबंधित एवं सभी को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07-08-19

सरकार के विशेष सचिव।